



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक 1354 / पत्रासं०-1474 / शोध प्रकोष्ठ / D.S.M.N.R.U / 2024-25

दिनांक- 26 अक्टूबर 2024

// कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में सत्र 2014 से 2017 तक शोधरत ऐसे शोधार्थियों जिनके शोध कार्य की अवधि (सकलांग हेतु अधिकतम अवधि 06 वर्ष एवं दिव्यांग/महिला शोधार्थियों हेतु 08 वर्ष) पूर्ण हो चुकी है, के प्रकरण पर विचार हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय-ज्ञाप सं० 323/पत्रावली सं०-1474/शोध प्रकोष्ठ/D.S.M.N.R.U/2024-25 दिनांक 18 मई, 2024 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से कुल-44 प्रकरणों पर आख्या प्राप्त हुई जिनका केस-टू-केस नियमानुसार परीक्षण करते हुए अपनी आख्या एवं संस्तुति प्रस्तुत की गई थी जिसे मा० विद्या परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 30-07-2024 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर मा० विद्या परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इसे स्वीकार करते हुए छात्र हित में मा० विद्या परिषद की 32वीं बैठक के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक 1062/पत्रा.सं०-568 (द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि०परि० /2024-25 दिनांक 03-09-2024 के अन्य बिन्दु सं०-8 पर निम्नवत् निर्णय पारित किया गया है:

Such research scholars who were admitted in the Ph.D. programme on the basis of the merit of marks obtained in Entrance test and interview combined together/or those who were UGC and CSIR NET/JRF qualified at the time of their admission and those who had been submitting the prescribed fee session wise/or if due to any circumstances could not submit the fee of any session, had submitted the fee after taking permission/approval of the competent authority adopting due procedure and did not quit/discontinue the Ph.D. programme without getting NOC/permission from the competent authority of the University; they shall be provided an option/opportunity to switch over to Ph.D. in part-time mode through the process of re-registration with the same topic and supervisor allotted previously.

In case of such research scholars, the past continuous duration elapsed by them with continued registration shall be counted in order to fulfill the minimum duration required in part-time Ph.D. and the one-time relaxation in the fee prescribed for part-time Ph.D. shall be provided and these candidates will have to pay the same fee as they have been paying since the time of their admission in view of the interest of the students.

This decision shall be applicable for the concerned research scholars when Ph.D. regulation-2024 is duly notified by the University.

This decision shall not be quoted as precedence.

“एसे शोधार्थी/शोधार्थिनी जिनका पीएच०डी० कार्यक्रम में प्रवेश लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों को संयुक्त कर/जोड़कर प्राप्त अंको की मेरिट के आधार पर चयनित होने के बाद हुआ था अथवा जिन्होंने अपने प्रवेश के समय UGC एवं CSIR द्वारा संचालित NET/JRF परीक्षा उत्तीर्ण किया था तथा जिन्होंने अपने पंजीकरण की सतता (Continuity) बनाये रखते हुए पीएच०डी० कार्यक्रम की निर्धारित फीस सत्रवार जमा करते रहे/अथवा किन्ही परिस्थितियों में किसी सत्र की फीस जमा नही कर पाने के कारण विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करते हुए फीस जमा की तथा विश्वविद्यालय की अनापत्ति/अनुमति प्राप्त किये बिना पीएच०डी० कार्यक्रम को नही छोड़ा/असतत (Discontinue) नही किया उन्हे पीएच०डी० पार्ट-टाइम मोड में पुनपंजीकरण (Re-registration) के माध्यम से अपने पूर्ववत् शोध-शीर्षक एवं शोध पर्यवेक्षक के साथ अपने शोध कार्य को पूर्ण करते हुए शोध-प्रबंध (thesis) जमा करने



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow

उत्तर प्रदेश सरकार

हेतु पीएच0डी0 पार्ट-टाइम मोड में स्विच करने का एक विकल्प/अवसर प्रदान किया जाएगा। इन शोधार्थियों के प्रकरण में न्यूनतम अवधि की पूर्ति हेतु छात्र हित के दृष्टिगत उनके पूर्व में व्यतीत किये गये सतत समयावधि (सतत पंजीकरण के साथ) को संगणित (Count) कर लिया जाएगा एवं पार्ट-टाइम पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिए निर्धारित फीस में केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करते हुए ऐसे शोधार्थियों को वही फीस जमा करनी होगी, जो वो पहले से जमा करते आए हैं।

यह निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा पीएच0डी0 रेगुलेशन-2024 विधिवत अधिसूचित होने के बाद सम्बन्धित शोधार्थियों के लिए लागू होगा।

इस निर्णय को भविष्य में दृष्टान्त के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।”

मा0 विद्या परिषद के उक्त निर्णय को मा0 कार्य परिषद की 46वीं बैठक दिनांक 12-09-2024 के निर्गत कार्यवृत्त पत्रांक 1140/फा0सं0-36(सप्तम)/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./कार्य परिषद/2024-25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 के बिन्दु सं0 10/46 पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे शोधार्थियों के प्रकरणों में मा0 विद्या परिषद एवं मा0 कार्य परिषद द्वारा पारित उक्त निर्णयानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाय।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि—

1. माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, शैक्षणिक, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/समन्वयक, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव